प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 7142 / 2016

आदेश सुरक्षित किया गया:--13.02.2025

आदेश पारित किया गयाः--22.04.2025

बृजबाई भाटपहाड़ी, पति स्वर्गीय श्री बलराम भाटपहाड़ी, आयु लगभग 49 वर्ष , निवासी न्यू राजेंद्र नगर, बजाज कॉलोनी, सेक्टर 1, स्ट्रीट सं सी 33 रायपुर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1- छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नई रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ पी. एस. राखी

2-जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

3-निदेशक, लोक शिक्षा निदेशालय रायपुर मंडल, जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

--- उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु:--श्री श्रवण अग्रवाल, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादीगण हेतु :--श्री देवेश जी. केला, पैनल अधिवक्ता।

माननीय श्रीमती रजनी दुबे,न्यायाधीश

सी. ए. वी. आदेश

1. याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा पारित दिनांक 10.09.2014, 08.04.2016, 18.07.2016 और 25.04.2001 (अनुलग्नक पी/1 और अनुलग्नक पी/2) के आदेशों को चुनौती देते हुए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की है।याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के माध्यम से उन आदेशों पर प्रश्न उठाया है, जिसके तहत दाण्डिक प्रकरण से दोषमुक्त होने के कारण सेवा में पुनः स्थापित करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने नियुक्ति के समय सत्यापन फॉर्म में गलत पता दिया था। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोष की मांग की गई है:---

" 10.1.यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा में पुनर्स्थापित करने के लिए पारित दिनांक 08.04.2016 और 18.07.2016 (अनुलग्नक पी/1) और दिनांक 25.04.2001 (अनुलग्नक पी/2) के आदेश को रद्द करने की कृपा करे।

10.2.कोई भी अन्य अनुतोष, जिसे यह माननीय न्यायालय उपयुक्त तथा उचित समझता है, याचिकाकर्ता को याचिका की लागत सहित देने कि कृपा करे।''

2. प्रकरण के तथ्य, जैसा कि वर्तमान रिट याचिका में प्रस्तुत किया गया है, संक्षेप में, याचिकाकर्ता के पति प्राथमिक विद्यालय गिधपुरी, ब्लॉक-पलारी, रायपुर संभाग, रायपुर में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, उनके पति की सहायक शिक्षक के रूप में कार्य करते समय मृत्यु हो गई और उसके बाद याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। नियुक्ति आदेश दिनांक 13.04.1998 की प्रति दाखिल की गई है और इसे अनुलग्नक पी/3 के रूप में अंकित किया गया है, आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों के उचित सत्यापन के बाद नियुक्ति प्रदान की गई थी। याचिकाकर्ता ने नियुक्ति आदेश के अनुसरण में 21.04.1998 को अपना कर्तव्य ग्रहण किया जैसा कि 21.04.1998 के पत्र से स्पष्ट होगा। उसके कार्यभार ग्रहण पत्र की प्रति दाखिल की गई है और इसे अनुलग्नक पी/4 के रूप में अंकित किया गया है।इस बीच, याचिकाकर्ता को उसके पति की हत्या के प्रकरण में झूठा फंसाया गया और उसे जेल भेज दिया गया, याचिकाकर्ता ने जमानत पर रिहा होने के बाद प्राधिकारी से उसे फिर से सेवा में शामिल होने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को इस आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में गलत पता दिया था और चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन में दी गई जानकारी सत्य और सही थी और कुछ भी नहीं छिपाया गया था।अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता ने 3 डब्ल्यूपीएस संख्या 7142/2016 में उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए पते पर जारी दिनांक 29.11.1997 के पत्र का उल्लेख दिया, जो उसे विधिवत प्राप्त हुआ था। याचिकाकर्ता को वाद में दोषी ठहराया गया था और इसलिए, जब तक कि , न्यायालय में उसकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती, तब तक प्रकरण को आगे बढ़ाना एक निरर्थक प्रयास होता। अंततः, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय ने दिनांक 22.07.2014 के अपने आदेश के तहत दोषमुक्त कर दिया। दिनांक 22.07.2014 के आदेश की प्रति दाखिल की गई है और इसे अनुलग्नक पी/8 के रूप में चिह्नित किया गया है।दोषमुक्त होने के बाद, याचिकाकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष पुनर्स्थापित करने के लिए अपने प्रकरण पर विचार करने के लिए उत्तरवादी संख्या 1 के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, हालांकि,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10.09.2014 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उच्च अधिकारियों के समक्ष 20.08.2015 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को 08.04.2016 के आदेश और उसके बाद 18.07.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। दिनांक 10.09.2014, 08.04.2016 और 18.07.2016 के आक्षेपित आदेशों की प्रतियां दाखिल की गई हैं और उन्हें अनुलग्नक पी/1 (संलग्नक) के रूप में चिह्नित किया गया है।आक्षेपित आदेश में उत्तरवादी ने एक नया आधार लिया है कि याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण घोषणा की थी तथा इसलिए, आक्षेपित आदेश पारित किए गए थे, जबकि, अनुलग्नक पी/2 के अवलोकन से, यह स्पष्ट होता है कि यह इस आधार पर पारित किया गया था कि याचिकाकर्ता ने गलत पता दिया था, जिसके कारण, उसके चरित्र का सत्यापन नहीं किया जा सका था।याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदन पत्र में पते के बारे में जानकारी उचित ढंग से प्रदान की गई थी तथा आवेदन पत्र में कोई छिपाव नहीं किया गया था।अपने पति की मृत्यु के पश्चात् याचिकाकर्ता के पास आजीविका का कोई स्रोत नहीं है।अतः, याचिकाकर्ता द्वारा यह वर्तमान याचिका दायर किया गया ।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश दमनकारी और मनमाने हैं,याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र में सही पता प्रस्तुत किया था, याचिकाकर्ता को 4 डब्ल्यूपीएस संख्या 7142/2016 आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए पते पर उत्तरवादी अधिकारियों से संचार प्राप्त हुआ था।याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र में कोई गलत जानकारी नहीं दी थी या कुछ भी नहीं छिपाया था और सत्यापन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी प्रस्तुत की गई थी। याचिकाकर्ता अपने जीवनयापन के लिए पूरी तरह से अपने पति पर निर्भर थी और रोजगार के अभाव में, उसे अपनी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को दाण्डिक प्रकरण से दोषमुक्त कर दिया गया है, 25.04.2001 का प्रारंभिक आदेश इस आधार पर पारित किया गया था कि याचिकाकर्ता ने सत्यापन फॉर्म में पते की गलत जानकारी दी थी, जो अभिलेख के विपरीत है, इसलिए 08.04.2016 और 18.07.2016 (अनुलग्नक पी / 1) और 25.04.2001 (अनुलग्नक पी / 2) के आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए तथा उत्तरवादी को याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में वापस रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए।वह **राम लाल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, उत्तरवादी संख्या 1 से 3/राज्य के विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई उपरोक्त प्रार्थना का दृढ़तापूर्वक विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के पति अर्थात् स्वर्गीय श्री बलराम भतपहारी प्राथमिक विद्यालय गिधपुरी, ब्लॉक–पलारी, जिला– रायपुर में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई और याचिकाकर्ता को दिनांक 13.04.1998 के आदेश के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई थी (अनुलग्नक पी/3)।उक्त नियुक्ति कुछ निश्चित शर्तों पर दी गई है तथा शर्त क्रमांक 4 में यह उल्लेख किया गया है कि नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिसका सत्यापन याचिकाकर्ता स्वयं करेगी तथा किसी भी त्रुटिपूर्ण

जानकारी के सिद्ध होने पर नियुक्ति बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जाएगी।अपने पति की मृत्यु पश्चात् शासकीय नौकरी प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था, जिसमें उसका आवासीय पता क्वार्टर क्रमांक 637, दीपक कॉलोनी, न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर पी.ओ. रविग्राम कॉलोनी, जिला– रायपुर बताया गया था तथा याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति आदेश दिनांक 13.04.1998 (अनुलग्नक पी/3) के तहत दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में दिए गए आवासीय पते के अनुसार संबंधित पुलिस थाना से याचिकाकर्ता के चरित्र का सत्यापन किया गया था।पुलिस स्टेशन– पलारी, जिला– रायपुर से दिनांक 15.10.1999 को एक संचार/पत्र प्राप्त हुआ था कि पी.एस. पलारी में याचिकाकर्ता एवं अन्य के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 एवं 120 बी के तहत दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए अपराध क्रमांक 37/94 पंजीबद्ध किया गया था तथा उक्त अपराध के विचारण विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार के न्यायालय में चल रही थी, तब यह पाया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय याचिकाकर्ता ने गलत जानकारी अर्थात निवास का पता दिया था, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता का चरित्र सत्यापन किया गया, जबकि थाना पलारी से दिनांक 15.10.1999 को प्राप्त जानकारी के अनुसार यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध दाण्डिक प्रकरण लंबित था तथा याचिकाकर्ता ने जानबूझ कर इस जानकारी को नहीं बताया और उल्लेख नहीं किया, इस प्रकार याचिकाकर्ता ने थाना पलारी में अपने विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध होने के इस तथ्य को छिपाया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा शासकीय नौकरी प्राप्त करने के लिए राज्य शासन को त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गई।जब यह तथ्य उत्तरवादी अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो याचिकाकर्ता को कारण बताएँ नोटिस दिया गया, जिसका याचिकाकर्ता ने 08.1.2001 पर जवाब दिया तथा 2016 के 6 डब्लू पी एस सं 7142 द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होने पर याचिकाकर्ता ने दिनांक 25.04.2001 (अनुलग्नक पी/2) के विवादित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया।याचिकाकर्ता ने दाण्डिक अपील संख्या 1636/1999 में इस न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति आदेश दायर किया, लेकिन समाप्ति आदेश से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं अपराध के पंजीकरण के तथ्य को छिपाने और त्रुटिपूर्ण सूचना/आवासीय पता प्रस्तुत करने के आधार पर समाप्त की गई हैं, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता का चरित्र सत्यापन किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा रखा गया भरोसा याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से मदद नहीं करता है क्योंकि याचिकाकर्ता की सेवा से समाप्ति विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर आधारित नहीं है।आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सेवा से समाप्ति के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने समय–समय पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं, जिन पर पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.08.1993 के प्रकाश में उत्तर देने वाले उत्तरवादीगण द्वारा विचार किया गया है और आक्षेपित आदेशों (अनुलग्नक पी/1) के माध्यम से निर्णय लिया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि पदधारी ने त्रुटिपूर्ण जानकारी और प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करके सरकारी नौकरी प्राप्त की है, उन्हें सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए, अर्थात याचिकाकर्ता जैसे पदधारी की सेवाओं को तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करने के लिए कोई ठोस आधार स्थापित नहीं किया है, इसलिए, वर्तमान याचिका योग्यता से रहित है और इसे तुरंत खारिज किया जा सकता है।

5. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री हेतु अध्ययन किया है।

6. इस प्रकरण में यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता के पति स्वर्गीय श्री बलराम भाटपहाड़ी 2016 (सी. जी.) के प्राथमिक विद्यालय गिधपुरी, ब्लॉक–पलारी, रायपुर, डिवीजन–रायपुर 7 डब्ल्यूपीएस संख्या 7142 में सहायक शिक्षक के रूप में उत्तरवादी विभाग में काम कर रहे थे तथा सहायक शिक्षक के रूप में काम करते हुए उनकी मृत्यु हो गई तथा उसके बाद याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन किया था। याचिकाकर्ता को 13.04.1998 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई थी और वह नियुक्ति आदेश के अनुसरण में 21.04.1998 को अपनी सेवाएं ग्रहण कर ली थी, जैसा कि 21.04.1998 के पत्र (अनुलग्नक पी/4) से स्पष्ट है।

7. यह भी विवादित नहीं है कि उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता को इस आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में गलत पता दिया था और चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था, जिस पर याचिकाकर्ता ने 03.05.2000 को अपना जवाब दिया था (अनुलग्नक पी/6)।उत्तरवादी प्राधिकारियों ने 25.04.2001 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/2) के तहत याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी थीं और याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को भी उत्तरवादी प्राधिकारियों ने अनुलग्नक पी/1 के तहत खारिज कर दिया था।याचिकाकर्ता ने अपने उत्तर की एक प्रति दिनांक 03.05.2000 को अनुलग्नक पी/6 के रूप में दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:---

... कंडिका 2 के आरोप है की मैंने अपने आवेदन में पता गलत अंकित किया है जबकि मेरे आवेदन अवलोकन पत्र स्पष्ट होगा की मैंने अपने पति के मृत्यु पश्च्यात उनके मृत्यु स्थल का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति मांगी थी। जिसमे मैंने शाला का उल्लेख था आज भी मैंने जो पूर्व में पता दिया था उसी स्थान पर मैं निवास कर रही हूँ। कंडिका 3 के बारे में निवेदन है कि { अनुक्रमांक फार्म परशिष्ट पैरा 2 (क) दिनांक 15.1.1998 को दो गवाहों के समक्ष साथ साथ शपथ भर कर जो आवेदन मैंने प्रस्तुत किया है उसमें मैंने किसी प्रकार की असत्य जानकारी एवं तथ्यों को नहीं छुपाया है।..."

9. याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा जारी दिनांक 29.11.1997 (अनुलग्नक पी/7) का एक पत्र भी दाखिल किया है, जिसमें याचिकाकर्ता के आवेदन को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था और उक्त पत्र में याचिकाकर्ता की प्रति याचिकाकर्ता के पते पर भी भेजी गई थी, जिसका उल्लेख सरल कं 3 में किया गया था और सरल कं 3 के अनुसार याचिकाकर्ता का पता निम्नानुसार था:---

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रतिलिपि :–"3. श्रीमती बृजबाई भतपहरी स्व. राजेंद्र नगर दीपक कालोनी माकन न. 647 पो. रविग्राम जिला – रायपुर म.प्र "

अतः इस दस्तावेज से स्पष्ट है कि वर्ष 1997 में उत्तरवादी कार्यालय में याचिकाकर्ता का पता राजेंद्र नगर, दीपक कॉलोनी क्वार्टर क्रमांक 647, पोस्ट ऑफिस रविग्राम जिला– रायपुर म.प्र. था।

10. यह स्पष्ट है कि उत्तरवादीगण ने अपने उत्तर के साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, यद्यपि याचिकाकर्ता ने पत्र दिनांक 15.09.2016 (अनुलग्नक पी/10) तथा आवेदन दिनांक 22.04.2024 (अनुलग्नक पी/11) प्रस्तुत किया है, जिसमें उनसे अनुकंपा नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति के संबंध में आरटीआई के माध्यम से मूल दस्तावेज/फार्म की मांग की गई थी, किन्तु संबंधित प्राधिकारी द्वारा बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, अतः याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम लाल (सुप्रा) के मामले में कंडिका 21, 30 एवं 31 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"21. यह बहुत स्पष्ट है कि सुसंगत और भौतिक साक्ष्य, पीडब्लू–5/राज सिंह का बयान; अपीलकर्ता की 8 वीं कक्षा की मार्कशीट (आरोप पत्र के साथ संलग्न) और बचाव पक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से एक्स.डी.3 के रूप में चिह्नित मूल मार्कशीट को चर्चा और विचार–विमर्श में पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। अभिलेख पर आए महत्वपूर्ण, सुसंगत और भौतिक साक्ष्यों को नजरअंदाज करके अभियुक्त के सबूत के बारे में अनुमान लगाया गया है। पीडब्लू–5 राज सिंह का साक्ष्य और आरोप पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में संलग्न मार्कशीट और एक्स.डी.–3 के रूप में चिह्नित मूल मार्कशीट, आरोप पर सीधे असर डालने वाली सामग्री थी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट में केवल तर्क को दोहराया है।अपीलीय प्राधिकारी के निष्कर्ष भी उतने ही हैं।यह अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है कि यदि संबंधित सामग्री की अनदेखी करने के पश्चात् अनुशासनात्मक अधिकारियों के निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है तो न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है।हमने केवल इस सीमा तक अपने आपको संतुष्ट करने के लिए सामग्री की जांच की है, ताकि यह देखा जा सके कि अभिलेख में क्या दर्शाया गया है।हम संतुष्ट हैं कि अनुशासनात्मक कार्यवाही दोषपूर्ण है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

30. उपरोक्त के तहत, हम घोषणा करते हैं कि समाप्ति का आदेश दिनांक 31.03.2004; अपीलीय प्राधिकारी का आदेश दिनांक 08.10.2004; दंड पर पुनर्विचार और पुनर्विलोकन करने से इनकार करने वाले दिनांक 29.03.2008 और 25.06.2008 के आदेश, सभी अवैध और अस्थिर हैं।

31. तदनुसार, हम डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 484/2011 दिनांक 05.09.2018 के निर्णय को अपास्त करते हैं। हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को वरिष्ठता, काल्पनिक पदोन्नति, वेतन निर्धारण और अन्य सभी लाभों सहित सभी परिणामी लाभों के साथ पुनः स्थापित किया जाएगा। जहाँ तक बकाया वेतन का

संबंध है, हम अपीलकर्ता को बकाया वेतन का 50% देने के लिए इच्छुक हैं। निर्देशों का आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अनुपालन किया जाना चाहिए।"

12. उपरोक्त निर्णय और उक्त चर्चा के आलोक में, वर्तमान प्रकरण में भी उत्तरवादीगण ने कहा कि याचिकाकर्ता की सेवाएं दाण्डिक प्रकरण के आधार पर समाप्त नहीं की गई थीं, बल्कि अपराध के पंजीकरण के तथ्य को छिपाने और त्रुटिपूर्ण सूचना/आवासीय पता प्रस्तुत करने के आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त की गई थीं, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता का चरित्र सत्यापन किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उत्तरवादी प्राधिकारी द्वारा उनके उत्तर पर विचार नहीं किया गया था।जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सुस्थापित है कि यदि अनुशासनात्मक अधिकारियों के निष्कर्ष सुसंगत सामग्री की अनदेखी करने के बाद आते हैं तो न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और वर्तमान मामले में, यह सुस्पष्ट है कि उत्तरवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतीकरण के संबंध में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए,वर्तमान याचिका को स्वीकृति दी जाती है और दिनांक 25.04.2001 (अनुलग्नक पी/2) के आक्षेपित आदेश और दिनांक 08.04.2016 और 18.07.2016 (अनुलग्नक पी/1) के आक्षेपित आदेश को सभी परिणामी लाभों के साथ रद्द/अपास्त किया जाता है और उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता को 50% पिछले वेतन और अन्य परिणामी लाभों के साथ उसके पद पर पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता के विरुद्ध उचित विभागीय जांच प्रारम्भ करने की स्वतंत्रता दी जाती है, यदि ऐसा चाहें और याचिकाकर्ता को सुनवाई/बचाव का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, विधि के अनुसार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए उचित आदेश पारित करें।

14. एक परिणाम के रूप में, रिट याचिका को उपरोक्त सीमा तक स्वीकृत की जाती है।

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur